

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ लिए

एसबी आपराधिक अपील (एसबी) संख्या 943/2024

1. अभिषेक पुत्र लीलाराम, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी गुरसाली की ढाणी थाना पंचायत दरीबा थाना पाटन जिला सीकर (अभियुक्त/याचिकाकर्ता जिला जेल टोंक में हैं)
2. नीरज पुत्र नरेश, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी किठाना, थाना चिड़ावा जिला झुंझुनू (आरोपी/याचिकाकर्ता जिला जेल टोंक में हैं)

----अपीलकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से
2. पिंटू पुत्र पप्पूलाल, निवासी अरनिया कांकड़, पीपलू, टोंक जिला टोंक (राजस्थान)

----प्रतिवादी

अपीलकर्ता (ओं) के लिए	:	श्री वी.आर. बाजवा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री संदीप जैन, सुश्री सविता नाथावत
प्रतिवादी (ओं) के लिए	:	श्री जीएस राठौर, जीए सह एएजी श्री एस.एस. मेहला, पीपी सुश्री कीर्ति के साथ वर्धन सिंह राठौड़ श्री भरत सिंह, एएसपी, सीआईडी (सीबी) अजमेर डॉ. राजेश कुमार डॉ. ओम नारायण मीना डॉ. योगेन्द्र चोपड़ा श्री मोहित बलवाड़ा श्री उमाशंकर पांडे

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

आदेश

प्रकाशनीय

आरक्षित तिथि:- **25/07/2024**

उच्चारण तिथि:- **14/08/2024**

1. यह आपराधिक अपील अभियुक्त-अपीलकर्ताओं की ओर से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अंतर्गत दायर की गई है। अभियुक्त-अपीलकर्ताओं को पुलिस थाना पीपलू, जिला टोंक में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 302 और 201 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(वी), 3(2)(वी.ए.) के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी संख्या 168/2023 के संबंध में गिरफ्तार किया गया था।

2. आरोपी अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वी.आर. बाजवा ने निम्नलिखित दलीलें प्रस्तुत की हैं:

2.1 एफआईआर देरी से यानी घटना की तारीख से तीन दिन बाद दर्ज की गई। इस संबंध में, यह तर्क दिया गया कि एफआईआर 29.06.2023 को दर्ज की गई, जबकि कथित घटना 27.06.2023 को रात 10:00 बजे हुई बताई गई है।

2.2 यह कि समुचित जानकारी के बावजूद, शिकायतकर्ता पिंटू, जो मृतक का भाई है, द्वारा तीन दिन की देरी के बारे में पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

2.3 अभियुक्त-अपीलकर्ता 20 और 23 वर्ष की आयु के युवा छात्र हैं, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वे केवल एमआरएस समूह/पट्टाधारक के कर्मचारी हैं, जिनका कर्तव्य नदी तल को रेत/बजरी के अवैध खनन से बचाना और उसकी सुरक्षा करना है।

2.4 मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तैयार की है, जो पंचनामा के साथ मिलकर मृतक के शरीर पर किसी भी घातक/गंभीर चोट के बजाय साधारण चोटों के अस्तित्व और/या लगने को दर्शाती है। तदनुसार, मृत्यु का कारण किसी भी चोट को नहीं बताया गया है। बल्कि, मृत्यु मृतक की गर्दन पर दबाव पड़ने और उल्टी के कारण वायुमार्ग में रुकावट के कारण हुई बताई गई है।

2.5 अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के विरुद्ध झूठा और मनगढ़ंत मामला बनाया गया है। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एफएसएल रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि मृत्यु के समय, मृतक ने अत्यधिक मात्रा में शराब पी थी, जिसका अनुमानित मान 100 मिलीलीटर में से 92.00 मिलीग्राम था। इसलिए, अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आरोप निराधार हैं और केवल बाद में लगाए गए हैं।

2..6 मृतक/शिकायतकर्ता के भाई सहित अन्य महत्वपूर्ण गवाहों ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत कोई मामला नहीं बनता। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्राथमिकी दर्ज करना भी क्षेत्राधिकार प्राप्त विधायक/सांसद के राजनीतिक दबाव के कारण हुआ था, जो इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों से भी स्पष्ट है। इसलिए, अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के विरुद्ध लगाए गए आरोपों में कोई दम नहीं है।

2..7 अभियुक्त-अपीलकर्ता काफी समय से न्यायिक हिरासत में हैं, अर्थात् एक वर्ष से अधिक समय से, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त उनकी स्वतंत्रता का उल्लंघन है।

3. प्रतिपक्ष, शिकायतकर्ता के विद्वान वकील, श्री मोहित बलवाड़ा ने तर्क दिया कि वर्तमान अपील में सार का अभाव है और इसलिए, दिनांक 16.04.2024 के आदेश के संबंध में कोई हस्तक्षेप वारंट नहीं है, जो पूरी तरह से तर्कसंगत है और कानून की स्थापित स्थिति के अनुरूप है। उक्त तर्क को विस्तृत करने के लिए, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि कथित अपराध लक्षित था, क्योंकि मृतक हाशिए पर पड़े एससी/एसटी समुदाय से था। मृतक की उम्र मात्र 22 वर्ष थी। उक्त अपराध के दौरान, मृतक के शरीर पर एक क्रूर और बर्बर हमला किया गया था, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्शाई गई 14 चोटों से परिलक्षित होता है, जिसमें मृतक के जननांग और जीभ काटे जाने शामिल हैं।

4. पूर्वोक्त के समर्थन में, श्री बलवाड़ा ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, विशेष रूप से चोट ए पर भरोसा जताया, जिसे गंभीर प्रकृति का बताया गया है और जो मौत का प्राथमिक कारण है। इस पृष्ठभूमि में, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो चोटों के लगने के मामले में काफी स्पष्ट है, के बावजूद, राज्य के अधिकारियों द्वारा उल्टी के कारण मौत होने के संबंध में दी गई चिकित्सा राय अस्पष्ट और विरोधाभासी थी, जो संक्षेप में ऐसी रिपोर्ट की सत्यनिष्ठा पर संदेह पैदा करती है, जो चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा पट्टा धारक/रेत/बजरी माफिया के साथ मिलीभगत के कारण तैयार की गई प्रतीत होती है। इसके अलावा, एफआईआर दर्ज करने में देरी के पहलू पर, श्री बलवाड़ा ने कहा कि एफआईआर तीन दिन बीत जाने के बाद, केवल इस तथ्य के कारण दर्ज की गई कि पुलिस अधिकारी/प्रशासन रेत/बजरी माफिया के अनुचित प्रभाव में थे, जिससे अभियुक्तों-अपीलकर्ताओं को शरण मिल रही थी। जब विधायक और सांसद जैसे अधिकार प्राप्त जनप्रतिनिधियों द्वारा आवाज उठाई गई, तब एफआईआर दर्ज की गई।

5. शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि कथित अपराध आईपीसी की धारा 34 और 201 के प्रावधानों के अंतर्गत पूरी तरह से शामिल होने के बावजूद, जो प्रकृति में संज्ञेय हैं और पुलिस अधिकारियों को 27.06.2023 को हुई कथित घटना की उचित जानकारी होने के बावजूद, सीआरपीसी की धारा 154 और 174 के प्रावधानों के तहत परिकल्पित कोई उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, बल्कि तीन दिनों की अवधि के लिए इसे स्पष्ट रूप से दरकिनार कर दिया गया। इसके अलावा, एफएसएल में राज्य के अधिकारियों द्वारा एक विरोधाभासी रुख अपनाया गया, जिसके तहत एक ओर मृतक के अत्यधिक नशे में होने का दावा किया गया, जबकि दूसरी ओर, यह नोट किया गया कि मृतक 27.06.2023 को घटनास्थल से भाग गया था।

6. इसके अलावा, श्री बलवाड़ा ने दलील दी कि क्रॉस एफआईआर संख्या 170/2023, जो वर्तमान एफआईआर संख्या 168/2023 के जवाब में दायर की गई थी, राज्य के अधिकारियों को ही इसके कारणों की जानकारी होने के कारण सीआईडी (सीबी) को हस्तांतरित नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप, घटनास्थल पर मौजूद ट्रैक्टर/जेसीवी/वाहनों जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की गई, जिनका इस्तेमाल हत्या में किया गया था, जिसमें उन्हें जलाना भी शामिल है और इस तरह मृतक के परिवार को इसके लिए दोषी ठहराया गया। विद्वान वकील ने आगे दलील दी कि संबंधित घटना की तारीख से ही मृतक के परिवार, जो एससी/एसटी समुदाय से है, पर बजरी माफिया द्वारा धमकी या आर्थिक लाभ की पेशकश के जरिए जबरन समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसलिए, चूंकि मृतक का परिवार एक साधारण पृष्ठभूमि से है, वे कार्यवाही का सक्रिय रूप से विरोध करने में असमर्थ हैं। इस संबंध में, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ खनन/परिवहन विभाग भी बजरी माफिया के साथ मिलीभगत रखते हुए जांच के शीघ्र और कुशल समापन में अनुचित बाधाएं डाल रहे हैं।

7. इस पृष्ठभूमि में, शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने इस दावे पर जोर दिया कि मेडिकल बोर्ड और सीआईडी (सीबी) के अलावा पुलिस अधिकारी सभी संबंधित एफआईआर में आरोपित बजरी माफिया/लीजा धारक से प्रभावित हैं, जो एक अच्छी तरह से जुड़ा हुआ राजनीतिक व्यक्ति है, जो अपने प्रभाव, धन और शक्ति के साथ जांच के परिणाम को प्रभावित करने और/या उसमें छेड़छाड़ करने में सक्षम है। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि जांच में यह स्वीकार किया गया तथ्य है कि पुलिस अधिकारी बजरी माफिया के प्रबंधन की समानांतर प्रणाली में सहायता कर रहे थे, जिसके कारण सभी भौतिक साक्ष्य

मिटा दिए गए और हत्या के संज्ञेय साक्ष्य समय पर दर्ज नहीं किए गए, अर्थात् तीन दिनों की देरी के बाद, जिससे पूरी जांच प्रभावित हुई।

8. उपरोक्त दलीलों के समापन पर, शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि वर्तमान मामला न केवल हाशिए पर पड़े एससी/एसटी समुदाय के खिलाफ अत्याचारों को दर्शाता है, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग को भी दर्शाता है जो राज्य मशीनरी में रिसता है और महान सार्वजनिक महत्व और सामाजिक सुरक्षा के मामलों में निष्पक्ष जांच को दूषित करता है। इसलिए, दागी जांच और बजरी माफिया/लीजा धारक के अनुचित प्रभाव/शक्ति के मद्देनजर, जैसा कि एफआईआर में उल्लेख किया गया है, मृतक के शिकायतकर्ता/परिवार को बिना किसी धमकी और/या अनुचित दबाव के मामले को स्वतंत्र रूप से लड़ने के लिए उचित सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अंत में, विद्वान वकील ने अदालत को इस तथ्य से अवगत कराया कि समान परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने एसबी सीआरएलएएस संख्या 292/2023 में समान रूप से रखे गए सह-अभियुक्त की अपील/जमानत को खारिज कर दिया इसलिए न्यायिक अनुशासन का पालन करते हुए तत्काल अपीलों को भी खारिज कर दिया जाना चाहिए।

9. इस समय, यह ध्यान रखना उचित है कि उपरोक्त घटनाओं की श्रृंखला पर विचार करते हुए और सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने दिनांक 31.05.2024 के आदेश के तहत निम्नलिखित निर्देश दिए, अर्थात्:

9.1 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को धारा 15ए के प्रावधानों के तहत निर्देश दिया गया कि वे मृतक के शिकायतकर्ता/परिवार को मामले को लड़ने के लिए कानूनी सहायता और अन्य सहायता सहित सभी सहायता प्रदान करें, विशेष रूप से उनकी विनम्र पृष्ठभूमि और लड़ने वाले पक्षों के बीच शक्ति असंतुलन को ध्यान में रखते हुए।

9.2 राज्य प्राधिकारियों/पुलिस को घटना की तिथि का रोज़नामचा रिकॉर्ड में लाने के निर्देश दिए गए, साथ ही यह भी बताया गया कि आज तक धारा 173(8) के तहत पूरक आरोप-पत्र क्यों दाखिल नहीं किया गया। इस बात पर भी स्पष्टीकरण/स्पष्टीकरण माँगा गया कि पीपलू पुलिस स्टेशन में दर्ज संबंधित एफआईआर संख्या 170/2023 का मामला सीआईडी (सीबी) को क्यों नहीं सौंपा गया।

9.3 चिकित्सा प्राधिकारियों/अधिकारियों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रस्तुत चिकित्सा राय के बीच स्पष्ट विसंगतियों को स्पष्ट करने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

9.4 एसीएस (गृह) से जांच की वर्तमान स्थिति के संबंध में उचित स्पष्टीकरण/रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया था और यह भी पूछा गया था कि प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य **(2006) 8 एससीसी 1** में प्रतिपादित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद आज तक कोई पुलिस शिकायत प्राधिकरण क्यों नहीं बनाया गया है।

10. दिनांक 31.05.2024 के आदेश के अनुपालन में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को मृतक और उसके परिवार को कानूनी सहायता एवं अन्य सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी श्री यू.एस. पांडे नामक एक वकील को निचली अदालत में शिकायतकर्ता का पक्ष रखने और/या उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त, अपर मुख्य सचिव (गृह) ने भी एक हलफनामा दायर कर अदालत को जाँच की वर्तमान स्थिति और प्रकाश सिंह (सुप्रा) मामले में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति से अवगत कराया है।

11. इस समय, यह ध्यान देने योग्य है कि बहस के दौरान और इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों, केस डायरी, रोज़नामचा, लॉग-बुक और संबंधित जाँच विवरणों का विधिवत अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया राज्य प्राधिकारियों द्वारा कथित अपराध में की गई जाँच में कुछ हद तक अनुचितता, अक्षमता और घटियापन देखा, जो अपराध के मुकदमे को पूरी तरह से दूषित और/या हस्तक्षेप करने में सक्षम था। इसलिए, इस न्यायालय ने लगाए गए आरोपों की पूर्ण, व्यापक और निष्पक्ष जाँच के लिए मामले की जाँच सीबीआई को सौंपने की अपनी इच्छा के बारे में अपना प्रथम दृष्टया मत प्रस्तुत किया था।

12. अभियुक्त-अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बाजवा के अनुरोध पर, उन्हें यह स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया गया कि मामला सीबीआई जैसी किसी स्वतंत्र एजेंसी को क्यों न सौंप दिया जाए। इस पृष्ठभूमि में, विद्वान अधिवक्ता ने जाँच को न सौंपे जाने का अनुरोध करते हुए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए:

12.1 यह मामला एक व्यक्ति से संबंधित है, जो कि दुर्लभतम मामलों में स्वतंत्र एजेंसी को जांच स्थानांतरित करने के लिए बनाए गए अपवाद के अंतर्गत नहीं आता है।

12.2 कि पहले ही मामले की जांच सीआईडी (सीबी) को सौंप दी गई थी, जो स्वयं एक स्वतंत्र एजेंसी है।

12.3 दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) एक स्व-निहित संहिता है और इसलिए, शिकायतकर्ता द्वारा व्यक्त की गई प्रत्येक आशंका/आपत्ति पर विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा विधिवत विचार किया जा सकता है।

12.4 मामला वर्तमान में ट्रायल के चरण में है और इसलिए, इस स्तर पर सीबीआई को संदर्भित करने से विलंबित चरण में मनमाने परिणाम प्राप्त होंगे।

12.5 अभियोजन पक्ष की कहानी कमजोर है, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण गवाह पहले ही अपने बयान से पलट चुके हैं।

12.6 दो समानांतर जांच अर्थात् एक सीआईडी (सीबी) द्वारा की गई जांच और दूसरी, संभवतः सीबीआई द्वारा की गई जांच, विरोधाभासी/भिन्न निष्कर्षों को जन्म दे सकती है, जिससे अनजाने में त्वरित सुनवाई में देरी होगी, तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित अभियुक्त के अधिकारों का उल्लंघन होगा।

13. वर्तमान मामले को नए सिरे से जांच के लिए सीबीआई को सौंपे जाने के खिलाफ आपत्ति जताते हुए पूर्वोक्त कथनों के समर्थन में, श्री बाजवा ने निम्नलिखित निर्णयों में प्रतिपादित उक्ति पर भरोसा किया, अर्थात् पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य बनाम लोकतांत्रिक अधिकार संरक्षण समिति, पश्चिम बंगाल एवं अन्य : (2010) 3 एससीसी 571, केवी राजेंद्रन बनाम पुलिस अधीक्षक, सीबीसीआईडी दक्षिण क्षेत्र, चेन्नई एवं अन्य : (2013) 12 एससीसी 480, दिशा बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य : (2011) 13 एससीसी 337, श्री श्री राम जानकी जी अस्थान तपोवन मंदिर एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य : जेटी 2019 (5) एससी 42, डिवाइन रिट्रीट सेंटर बनाम केरल राज्य एवं अन्य : (2008) 3 एससीसी 542, एमसी अब्राहम एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य : (2003) 2 एससीसी 649, विश्वनाथ बिरादर बनाम दीपिका एवं अन्य : एसएलपी (क्रि.) संख्या 4123/2021, राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक बनाम एम. मुरुगेसन एवं अन्य : जेटी 2020 (1) एससी 137 और

सत्यजीत बनर्जी एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य : संयुक्त न्यायाधिकरण **2004 (10)**
एससी **27**

14. अंत में, आरोपी-आवेदकों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि इस न्यायालय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के साथ सीआरपीसी की धारा 482 के तहत प्रदत्त असाधारण शक्तियों का प्रयोग, मामले को जांच के लिए सीबीआई को हस्तांतरित करने के लिए, केवल असाधारण परिस्थितियों में ही सावधानी और संयम से किया जाना चाहिए। यह प्रतिपादित किया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में रेफरल के ऐसे निर्देश संघीय ढांचे और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुरूप नहीं हैं। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में, कोई असाधारण और/या पर्यवेक्षी परिस्थिति मौजूद नहीं है, जो सीबीआई को जांच हस्तांतरित करने का औचित्य सिद्ध कर सके। अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि सीबीआई को संदर्भ यंत्रवत् और/या नियमित तरीके से नहीं किया जा सकता है और इसलिए, ऐसा करने से पहले, न्यायालय को ऐसे संदर्भ से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं, अपराध की प्रकृति की जांच करनी चाहिए। हालाँकि, वर्तमान मामले में ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, क्योंकि जांच एजेंसी की प्राथमिक जिम्मेदारी सीआईडी (सीबी) और राज्य प्राधिकारियों द्वारा विधिवत रूप से निभाई गई है, और जिसके परिणामस्वरूप, आरोपी-अपीलकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।

15. जबकि, जांच को सीबीआई को सौंपे जाने के पहलू पर, प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान एएजी सह जीए ने प्रस्तुत किया कि सीआईडी (सीबी) राज्य का एक जांच निकाय है, जो निष्पक्ष जांच करने के लिए विधिवत सुसज्जित है। इसके अलावा, आज की तारीख में, धारा 173(8) के तहत पूरक आरोप-पत्र दाखिल करना लंबित है और समय पर एफआईआर दर्ज करने और लॉग-बुक और रोजनामचा न रखने में सीआरपीसी /आईपीसी के प्रावधानों को दरकिनार करने के लिए संबंधित/दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है। विद्वान एएजी सह जीए ने यह भी प्रस्तुत किया कि न्यायालय में उपस्थित चिकित्सा अधिकारियों ने आवाज उठाई है कि मृतक की मृत्यु पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उल्लिखित चोट ए के कारण हुई थी और उल्टी केवल आकस्मिक और सहायक प्रकृति की थी। उक्त स्पष्टीकरण का मेडिकल बोर्ड ने भी समर्थन किया था।

16. एसीएस (गृह), जिन्होंने वर्चुअल रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, ने भी न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दायर किया, लेकिन पुलिस शिकायत प्राधिकरण के गठन, एफआईआर दर्ज करने में देरी, संबंधित एफआईआर की जांच सीआईडी (सीबी) को हस्तांतरित न करने आदि पहलुओं पर कोई ठोस और/या भौतिक स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहे।

17. जबकि, श्री यू.एस. पांडे, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा परिवादी और श्री मोहित की सहायता के लिए नियुक्त वकील शिकायतकर्ता के वकील श्री बलवाड़ा ने सीबीआई को जांच हस्तांतरित करने में आरोपी-अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं पर सामूहिक रूप से आपत्ति जताई और कहा कि वर्तमान मामले को पुलिस/राज्य अधिकारियों द्वारा की गई पक्षपातपूर्ण, अनुचित, घटिया और अपूर्ण जांच को दूर करने के लिए सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपा जाना चाहिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

18. दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना और उन पर विचार किया, अपील के विशाल अभिलेख का अवलोकन किया और बार में उद्धृत निर्णयों का अवलोकन किया।

19. सर्वप्रथम, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों पर अपनी टिप्पणियाँ लिखने से पहले, यह न्यायालय उन प्रासंगिक विचारों और/या शर्तों पर ध्यान देना नितांत आवश्यक समझता है, जिन्हें अपील/ज़मानत का निपटारा करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जाँच को किसी स्वतंत्र एजेंसी, जैसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा जाना चाहिए या नहीं। वर्तमान अपील के निपटारे से संबंधित व्यापक शर्तें और/या विचार नीचे दिए गए हैं:-

19.1 यह कि वर्तमान अपील अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 (इसके बाद, 1989 का अधिनियम) की धारा 14 के अंतर्गत तथ्य के प्रश्नों के साथ-साथ विधि के प्रश्नों पर भी दायर की गई है।

19.2 मृतक एक हाशिए पर पड़े समुदाय से था, जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। मृतक, जिसकी उम्र मुश्किल से 22 साल थी, पर आरोप है कि बजरी /रित माफिया के इशारे पर, समाज में एक मिसाल कायम करने के लिए, अपने हितों की रक्षा हेतु, एक आपराधिक साजिश रचकर उसकी हत्या कर दी गई।

19.3 जैसा कि अभिलेख में है, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, जिसमें न्यायालय के समक्ष चिकित्सक जैसे चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क भी शामिल हैं, यह दर्शाती है कि मृतक की मृत्यु उसके शरीर पर लगी चोटों के कारण हुई, जिनकी संख्या 14 थी, लेकिन विशेष रूप से चोट-ए, जिसे गंभीर प्रकृति का बताया गया है, मृत्यु का प्राथमिक कारण थी। अभिलेख से पता चलता है कि मृतक के शरीर पर लगी चोटें न केवल भयानक थीं, बल्कि जीभ और जननांगों के कटने/विच्छेदन सहित अत्यंत व्यापक और क्रूर थीं।

19.4 कि जांच के दौरान, 1989 के अधिनियम की धारा 15ए के तहत निहित प्रावधानों, जो पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों के लिए प्रदान करते हैं, को सीआरपीसी के तहत निहित संबंधित प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 154 और 174 के साथ पढ़ें, राज्य/पुलिस अधिकारियों द्वारा, अक्षरशः और भावना से पालन नहीं किया गया, क्योंकि उक्त प्रावधानों के उद्देश्य और लक्ष्य के विपरीत, जो हत्या जैसे संज्ञेय अपराध के मामलों में जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते हैं, ऐसी कोई समय पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। बल्कि, संबंधित एफआईआर केवल क्षेत्राधिकार वाले सांसद/विधायक द्वारा डाले गए दबाव के कारण दर्ज की गई, वह भी घटना की तारीख से तीन दिन के महत्वपूर्ण अंतराल के बाद यानी 29.06.2023 को, जबकि घटना 27.06.2023 को हुई थी।

19.5 एफआईआर का असामयिक पंजीकरण और प्रक्रिया में परिणामी चूक के कारण मृतक का शव तीन दिनों तक असुरक्षित/उपेक्षित पड़ा रहा, जिसके दौरान साक्ष्यों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ की गई, जो कि मालिक/लीज धारक द्वारा दर्ज कराई गई संबंधित/क्रॉस-एफआईआर संख्या 170/2023 के पंजीकरण से भी परिलक्षित होता है, जिसमें कहा गया है कि कथित घटना को अंजाम देने में जिन वाहनों का उपयोग किया गया था, उन्हें नष्ट कर दिया गया और/या जला दिया गया।

19.6 जांच की सत्यनिष्ठा पर संदेह की छाया, जो एफआईआर के विलंबित पंजीकरण के कारण शुरू में ही अस्थिर थी, इस तथ्य के कारण भी उत्पन्न होती है कि जब सीआईडी (सीबी) द्वारा जांच के लिए संदर्भ दिया गया था, तो संबंधित एफआईआर संख्या 170/2023 में जांच को स्थानांतरित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप जांच के दो समानांतर सेटों को जन्म देने का प्रभाव पड़ा, जबकि उनका केंद्र एक ही और/या व्यापक और परस्पर जुड़ा हुआ था।

19.7 कि संबंधित एफआईआर में, शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस अधिकारियों द्वारा पट्टा/ नाका धारकों और/या बजरी माफिया को विशेष संरक्षण दिए जाने के संबंध में विशिष्ट आरोप लगाए गए थे, जिनका

एक समान इरादा आपराधिक कृत्य करने का था ताकि एक उदाहरण स्थापित किया जा सके और अपने हितों की रक्षा की जा सके अर्थात् बजरी की गुप्त निकासी को रोका जा सके। फिर भी, ऐसे आरोपों के बावजूद और उचित औचित्य के बिना, उक्त व्यक्तियों को राज्य/पुलिस अधिकारियों द्वारा संरक्षण दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप, उन्हें आरोप-पत्र नहीं दिया गया। इसके अलावा, पुलिस कर्मियों द्वारा एक विरोधाभासी दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसके तहत एफआईआर में उल्लिखित पुलिस अधिकारियों के नामों को आरोप-पत्र से मुक्त कर दिया गया, लेकिन समानांतर रूप से, उनके खिलाफ रोजनामचा न रखने, समय पर एफआईआर दर्ज न करने और लॉग-बुक न रखने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई।

19.8 कि पट्टा/ नाका धारकों के संबंध में, अभियुक्त-अपीलकर्ताओं द्वारा अपने बयानों में विशेष रूप से यह स्वीकार करने के बावजूद कि वे पूर्व के कर्मचारी थे जो उनके विशिष्ट निर्देशों के तहत काम कर रहे थे, सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत पूरक आरोप-पत्र दाखिल करना काफी समय से स्थगित रखा गया है, जबकि आईपीसी की धारा 34 के प्रावधानों की अनदेखी की गई है, जो समान इरादे से कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों पर दायित्व तय करता है। सीआईडी (सीबी) द्वारा की गई जांच ने इस तथ्य को विधिवत रूप से स्वीकार किया है कि बजरी को गुप्त रूप से हटाने के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पट्टा धारकों द्वारा एक समानांतर तंत्र अपनाया गया था, जिसमें पट्टा धारकों की सनक/निर्देशों पर काम करने के लिए युवाओं को शामिल किया गया था, जिसमें अक्सर अवैध कृत्यों को शामिल किया जाता था। सीआईडी (सीबी) द्वारा इस तरह के निष्कर्षों के बावजूद, पुलिस अधिकारी, उन्हें ही ज्ञात कारणों से, ऐसे पट्टा धारकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 34 के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहे।

19.9 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार, मेडिकल रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट के बीच गंभीर विरोधाभास पाया गया है, क्योंकि एक ओर, जांच प्राधिकारी यह प्रस्तुत करते हैं कि मृतक अपनी चोटों के कारण दम तोड़ने से पहले घटना स्थल से भाग गया था, जबकि दूसरी ओर, जांच से पता चलता है कि मृतक अत्यधिक नशे में था, जिसकी उल्टी के कारण नाक बंद हो जाने के कारण मृत्यु हो गई।

20. इसलिए, पूर्वगामी विचारों और/या शर्तों के आलोक में, यह न्यायालय यह नोट करना उचित समझता है कि अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा दी गई दलीलें, जहां तक वे आगे की जांच सीबीआई को हस्तांतरित न करने/संदर्भित न करने से संबंधित हैं, इस न्यायालय द्वारा समर्थित नहीं की जा सकतीं। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा ऊपर उल्लेखित निर्णयों के सिद्धांत पर

भरोसा स्वयं यह निर्देश देता है कि दुर्लभतम मामलों में ही स्वतंत्र एजेंसियों को जांच के लिए भेजा जा सकता है। संवेदनशील मामलों में, जैसे कि हाशिए के समुदायों (एससी/एसटी) के खिलाफ अपराधों से संबंधित इस न्यायालय के समक्ष, जघन्य अपराध किए जाने का आरोप है और तदनुसार, जांच अधिकारी सीआरपीसी द्वारा निर्धारित निष्पक्ष जांच के सिद्धांतों को बनाए रखने के अपने कार्य में बुरी तरह विफल रहे हैं। और 1989 का अधिनियम, जिसके तहत संज्ञेय अपराध की पूरी जानकारी होने के बावजूद समय पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई, लॉग-बुक नहीं बनाई गई और रोजनामचा तैयार नहीं किया गया।

21. इस मोड़ पर, यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विनय त्यागी बनाम इरशाद अली उर्फ दीपक **(2013) 5 एससीसी 762** के निर्णय में दिए गए कथन पर भरोसा करना उचित समझता है। विनय त्यागी (सुप्रा) मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के साथ सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, संवैधानिक न्यायालय नए सिरे से और आगे की जांच का निर्देश दे सकते हैं, जहाँ यह प्रतीत होता है कि जांच स्वयं में अनुचित और दूषित थी। विनय त्यागी (सुप्रा) मामले में दिए गए कथन का प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है :-

14. प्रारंभिक जांच वह है जो सशक्त पुलिस अधिकारी प्राथमिकी दर्ज करने के लिए करेगा। ऐसी जांच से ही संहिता की धारा 173 के अंतर्गत अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जा सकती है और इसके दायरे में वह जांच भी शामिल होगी जो सशक्त अधिकारी संहिता की धारा 156 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा पारित जांच आदेश के अनुपालन में करेगा।

15. धारा 173 के अनुसार न्यायालय के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने के बाद आगे मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करता है। यह शक्ति कार्यपालिका में निहित है। यह किसी पूर्ववर्ती जांच का ही अनुक्रम है और इसलिए इसे 'आगे की जांच' के रूप में समझा और वर्णित किया जाता है। ऐसी जांच का दायरा आगे के मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की खोज तक सीमित है। इसका उद्देश्य सत्य तथ्यों को न्यायालय के समक्ष लाना है, भले ही वे प्राथमिक जांच के बाद के चरण में खोजे गए हों। इसे आमतौर पर 'पूरक रिपोर्ट' के रूप में वर्णित किया जाता है। 'पूरक रिपोर्ट' सही अभिव्यक्ति होगी क्योंकि अनुवर्ती जांच का आशय और आशय अधिकार प्राप्त पुलिस अधिकारी द्वारा की गई प्राथमिक जांच का पूरक होना है। आगे की जांच की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जांच एजेंसी द्वारा की गई प्रारंभिक जांच को समाप्त करने का नहीं होता है। यह एक प्रकार से पूर्ववर्ती जांच की निरंतरता है। इसका आधार नए साक्ष्यों की खोज और उसी अपराध और उससे संबंधित घटनाओं की श्रृंखला की निरंतरता है। दूसरे शब्दों में, इसे 'पुनर्जांच', 'ताजा' या 'नए सिरे से' जांच के बिल्कुल विपरीत समझा जाना चाहिए।

16. हालांकि, 'नई जांच', 'पुनर्जांच' या 'नए सिरे से जांच' के मामले में अदालत का एक निश्चित आदेश होना चाहिए। अदालत के आदेश में स्पष्ट रूप से यह बताया जाना चाहिए कि क्या पिछली जांच, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, कार्रवाई करने में असमर्थ है। न तो जांच एजेंसी और न ही मजिस्ट्रेट के पास 'नई जांच' का आदेश देने या संचालित करने का कोई अधिकार है। यह मुख्य रूप से इस कारण से है कि यह संहिता की योजना के विपरीत होगा। यह आवश्यक है कि उच्च न्यायपालिका द्वारा पारित 'नई/नए सिरे से' जांच के आदेश के साथ हमेशा पहले से की गई जांच के भाग्य के बारे में एक विशिष्ट निर्देश दिया जाना चाहिए। ऐसे मामले बहुत कम हैं जहां ऐसा निर्देश जारी किया जा सकता है। यह हमारे आपराधिक न्यायशास्त्र के एक मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है जो यह है कि किसी संदिग्ध या अभियुक्त का अधिकार है कि वह न्यायसंगत और निष्पक्ष जांच और सुनवाई करवाए। यह सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 में निहित संवैधानिक अधिदेश से निकलता है। जहाँ जाँच पूर्व-दृष्ट्या अनुचित, दूषित, दुर्भावनापूर्ण और गड़बड़ी की बू आती है, वहाँ अदालतें ऐसी जाँच को रद्द कर देंगी और नए सिरे से या नए सिरे से जाँच का निर्देश देंगी, और यदि आवश्यक हो, तो किसी अन्य स्वतंत्र जाँच एजेंसी से भी। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, यह व्यापक शक्ति है और इसलिए इसका प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में दुर्लभतम मामलों का सिद्धांत पूरी तरह लागू होगा...।”

22. पूर्वोक्त के अनुसरण में, पूजा पाल बनाम भारत संघ एवं अन्य, **2016 (3) एससीसी 135** में प्रतिपादित उक्ति का भी सहारा लिया जा सकता है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जांच को सीबीआई को सौंपने की संभावना पर जोर देते हुए यह रेखांकित किया था कि असाधारण मामलों में ऐसा किया जा सकता है, तब भी जब पूर्ववर्ती जांच में कोई आवश्यक दोष न दर्शाया गया हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलकर्ता के शीघ्र एवं निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर बल दिया, साथ ही यह स्पष्ट किया कि निष्पक्ष सुनवाई की अनिवार्यता के विरुद्ध होने पर, पूर्व का अधिकार अपने आप में अभियुक्त के लिए प्रतिकूल नहीं होगा। पूजा पाल (सुप्रा) में प्रतिपादित उक्ति का प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत है :-

“44. जैसा भी हो, जिस मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है तथ्यों और कानून की स्थिति के समग्र परिप्रेक्ष्य को देखते हुए सीबीआई द्वारा आगे की जाँच या पुनर्जांच की आवश्यकता या अन्यथा। बेशक, इस बीच एक दशक से अधिक समय बीत चुका है, और इस अंतराल में, राज्य पुलिस और सीबीसीआईडी द्वारा क्रमिक जाँच की गई है, जिसके बाद प्रतिवादी संख्या 4 और 5 और अन्य को आरोपी के रूप में आरोपित करते हुए चार आरोपपत्र प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए जाँच के दौरान एकत्रित सहायक सामग्री भी शामिल है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अपीलकर्ता ने भी सीबीसीआईडी द्वारा की गई जाँच

में किसी भी दोष, चूक या कमी को उजागर नहीं किया है, जिससे मुकदमे के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

45. इन सबके बावजूद, हमारी राय में, यह जांचना अनिवार्य होगा कि क्या पूर्ण न्याय करने और संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, मामले की जांच फिर से सीबीआई को सौंपने की राह त अपने आप में योग्यता के आधार पर दी जा सकती है या नहीं। यह मुख्य रूप से, सार्वजनिक स्थान पर दिनदहाड़े हत्यारों द्वारा मानव अधिकारों के निडर, दुस्साहसी और पैशाचिक अतिक्रमण को देखते हुए, कानून के सभी सिद्धांतों का उल्लंघन करके और एक व्यवस्थित समाज को बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई प्रशासनिक व्यवस्था का मजाक उड़ाते हुए किया गया है। इस घटना का आतंकित करने वाला प्रभाव और अपराध को अंजाम देने का बर्बर तरीका भी एक ऐसा कारक है जो इस न्यायालय को सार्वजनिक सुरक्षा के हित में ऐसी जांच करने के लिए प्रेरित करता है, जो हमारे लोकतांत्रिक राजनीति के सभी शासन संस्थानों को सौंपा गया एक सर्वोपरि कर्तव्य है। यह तब और भी अधिक आवश्यक है, जब कोई जघन्य और डराने वाला अपराध समग्र रूप से न्याय वितरण प्रणाली में जनता के विश्वास को प्रभावित कर रहा हो, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह के जघन्य अपराध को लापरवाही से, अकल्पनीय रूप से और दंड से बचाया न जा सके।"

23. अतः, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विनय त्यागी (सुप्रा) और पूजा पाल (सुप्रा) में दिए गए निर्णयों की उपरोक्त उक्ति से मुख्य निष्कर्ष यह निकलता है कि किसी अपराध की जाँच निष्पक्ष, ईमानदार, न्यायसंगत, पूर्ण और विधि के अनुरूप होनी चाहिए। ऐसी जाँच का पूरा ज़ोर सक्षम न्यायालय के समक्ष मामले की सच्चाई को उजागर करने पर होना चाहिए। न्यायालय को मामले की जाँच सीबीआई जैसी नई एजेंसी से कराने के लिए भेजते समय इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि खोज, पुष्टि और सत्य की स्थापना ही न्यायालयों के अस्तित्व को रेखांकित करने वाले घोषित उद्देश्य हैं। किसी आपराधिक मुकदमे में प्रतिस्पर्धी ताकतों, अर्थात् अभियुक्त और जनता के हितों और काफी हद तक पीड़ित के हितों के बीच एक न्यायिक संतुलन बनाया जाना चाहिए, साथ ही अपराध करने वाले व्यक्तियों के अभियोजन में शामिल जनहित को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए।

24. इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, तथा ऊपर उल्लिखित पूर्वोक्त शर्तों और/या विचारों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सकता कि कथित अपराध में की गई जांच अनुचित, दूषित और अपूर्ण रही है, जिसने इस न्यायालय की न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर दिया है।

25. इसलिए, वर्तमान मामले को जांच के लिए सीबीआई को भेजते समय, यह न्यायालय यह दोहराना उचित समझता है कि पुलिस प्राधिकारियों और सीआईडी (सीबी) द्वारा अब तक की गई जांच पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि यह निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है, ऊपर उल्लिखित कारणों के अतिरिक्त निम्नलिखित कारणों से:-

25.1 यह कि आरोपित अपराध 1989 के अधिनियम के प्रावधानों को लागू करता है क्योंकि पीड़ित/मृतक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से थे।

25.2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, कुल 14 चोटें मृतक के शरीर पर चोट के निशान दिखाई दिए , जिसमें से गर्दन पर लगी चोट ए, जैसा कि चिकित्सा विशेषज्ञ/डॉक्टर ने बताया है, जो अदालत के समक्ष उपस्थित हुए हैं, घातक और जीवन के लिए खतरा थी। इस तरह के स्पष्टीकरण के बावजूद, चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड पर रखी गई पूर्ववर्ती चिकित्सा राय पूरी तरह से विरोधाभासी थी, क्योंकि इसने पूरी तरह से चोटों को मौत का कारण मानने से इनकार कर दिया था, बल्कि उल्टी के कारण सांस की नली में जमाव को इसका कारण बताया था। चिकित्सा रिपोर्ट और संबंधित चिकित्सा राय में विरोधाभास इस तथ्य के कारण भी स्पष्ट हो जाता है कि बाद में, विशेषज्ञ को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से, चोटों को साधारण प्रकृति का बताया गया, जो पीड़ादायक है, खासकर जब मृतक की गर्दन पर लगी चोट ए को अदालत के समक्ष दिए गए बयानों में जीवन के लिए खतरा बताया गया है।

25.3 कि जांच के दौरान, 1989 के अधिनियम की धारा 15ए के तहत निहित प्रावधानों, जो पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों को प्रदान करते हैं, को सीआरपीसी के तहत निहित संबंधित प्रावधानों , विशेष रूप से धारा 154 और 174 के साथ पढ़ें, राज्य/पुलिस अधिकारियों द्वारा, अक्षरशः और भावना से पालन नहीं किया गया, क्योंकि उक्त प्रावधानों के उद्देश्य और लक्ष्य के विपरीत, जो हत्या जैसे संज्ञेय अपराध के मामलों में जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता है, ऐसी कोई समय पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। बल्कि, संबंधित एफआईआर केवल क्षेत्राधिकार वाले सांसद/विधायक द्वारा डाले गए दबाव के कारण दर्ज की गई, वह भी घटना की तारीख से तीन दिन के महत्वपूर्ण अंतराल के बाद यानी 29.06.2023 को, जबकि घटना 27.06.2023 को हुई थी।

25.4 अब तक प्राधिकारियों द्वारा की गई जाँच स्वयं स्वीकार करती है कि पुलिस प्राधिकारियों और राज्य प्रशासन ने बजरी की गुप्त निकासी जैसे अपने हितों की रक्षा के लिए निजी खिलाड़ियों, जैसे कि यहाँ

के पट्टाधारकों, को कार्यभार सौंप दिया था। ऐसा करने के लिए, ऐसे पट्टाधारकों ने प्रथम दृष्टया अपने हितों की रक्षा के लिए निजी खिलाड़ियों की भर्ती की, जबकि कानून को अपने हाथ में लिया, जैसा कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से पता चलता है, इस न्यायालय के समक्ष अभियुक्त-अपीलकर्ताओं की सहायता से ऐसा किया गया है।

25.5 कि संबंधित एफआईआर में, शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस अधिकारियों द्वारा पट्टा/ नाका धारकों और/या बजरी माफिया को विशेष संरक्षण दिए जाने के संबंध में विशिष्ट आरोप लगाए गए थे, जिनका एक समान इरादा एक उदाहरण स्थापित करने और अपने हितों की रक्षा के लिए आपराधिक कृत्य करने का था। फिर भी, ऐसे आरोपों के बावजूद और उचित औचित्य के बिना, उक्त व्यक्तियों को राज्य/पुलिस अधिकारियों द्वारा संरक्षण दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप, उन्हें आरोप-पत्र नहीं दिया गया। इसके अलावा, पुलिस कर्मियों द्वारा एक विरोधाभासी दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसके तहत एफआईआर में उल्लिखित पुलिस अधिकारियों के नामों को आरोप-पत्र से मुक्त कर दिया गया, लेकिन समानांतर रूप से, उनके खिलाफ रोजनामचा न रखने, समय पर एफआईआर दर्ज न करने और लॉग-बुक न रखने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई।

25.6 कि पट्टा/ नाका धारकों के संबंध में, अभियुक्त-अपीलकर्ताओं द्वारा विशेष रूप से यह स्वीकार करने के बावजूद कि वे उनके कर्मचारी थे जो उनके विशिष्ट निर्देशों के तहत काम कर रहे थे, सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत पूरक आरोप-पत्र दाखिल करना काफी समय से स्थगित रखा गया है, जबकि आईपीसी की धारा 34 के प्रावधानों की अनदेखी की गई है, जो समान इरादे से काम करने वाले सभी व्यक्तियों पर दायित्व तय करता है। सीआईडी (सीबी) द्वारा की गई जांच ने इस तथ्य को विधिवत रूप से स्वीकार किया है कि बजरी को गुप्त रूप से हटाने के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पट्टा धारकों द्वारा एक समानांतर तंत्र अपनाया गया था, जिसमें पट्टा धारकों की सनक/निर्देशों पर काम करने के लिए युवाओं को शामिल किया गया था। सीआईडी (सीबी) द्वारा इस तरह के निष्कर्षों के बावजूद, पुलिस अधिकारी, उन्हीं को ज्ञात कारणों से, ऐसे पट्टा धारकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 34 के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहे।

25.7 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार, मेडिकल रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट के बीच गंभीर विरोधाभास पाया गया है, क्योंकि एक ओर, जांच अधिकारी यह प्रस्तुत करते हैं कि मृतक अपनी

चोटों के कारण दम तोड़ने से पहले घटनास्थल से भाग गया था, जबकि दूसरी ओर, जांच से पता चलता है कि मृतक अत्यधिक नशे में था, जिसकी उल्टी के कारण नाक बंद हो जाने के कारण मृत्यु हो गई।

25.8 जांच के दौरान, 1989 के अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया तथा मृतक के परिवार को कोई उचित सहायता नहीं दी गई, जैसा कि धारा 15ए के अधिदेश द्वारा प्रदान किया गया है।

25.9 कि इसी तरह के तथ्यात्मक मैट्रिक्स में यानी एस. बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 2910/2024 में, जो पुलिस स्टेशन सदर जिला बूंदी में दर्ज एक अपराध से संबंधित था, जिसमें विषय वस्तु बजरी और रेत/बजरी माफिया को गुप्त रूप से हटाने की थी, सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत और टी. एन. गोदावरन थिरुमुल्कपाद बनाम भारत संघ में प्रतिपादित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, एआईआर **1997 एससी 1228** में रिपोर्ट की गई, बजरी को गुप्त रूप से हटाने के पर्यावरणीय और आर्थिक परिणामों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रेत माफिया पुलिस/राज्य अधिकारियों को अपने राजनीतिक प्रभाव में लेकर समानांतर रूप से काम कर रहा था, इस न्यायालय ने जांच को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया था, जिसे राज्य द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया था। इसके अलावा, जैसा कि इस न्यायालय को अवगत कराया गया है, राज्य ने रेत/बजरी माफिया को गुप्त रूप से हटाने पर अंकुश लगाने के लिए एक अभियान भी शुरू किया

26. इसके अलावा, बहस के दौरान, शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने अदालत को इस तथ्य से अवगत कराया कि मृतक के परिवार के जीवन और स्वतंत्रता को खतरा है, क्योंकि वे एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, और उन्होंने एफआईआर में ऐसे व्यक्तियों का नाम लिया है जिनका समाज में काफी प्रभाव और शक्ति है। इसलिए, इस पृष्ठभूमि में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य (**2009**) **6 एससीसी 767** और महेंद्र चावला एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में प्रतिपादित उक्ति पर भरोसा करते हुए , (**2019**) **14 एससीसी 615** में रिपोर्ट की गई और गवाह संरक्षण योजना 2018 को धारा 15 ए और 21 के साथ पढ़ें, जो पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों का प्रावधान करती है, और विनय त्यागी (सुप्रा) में प्रतिपादित तानाशाही का संचयी नोट लेते हुए, यह न्यायालय इस विचार पर है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए, क्योंकि अब तक की गई जांच, ऊपर वर्णित कारणों से, कार्रवाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह दागी, घटिया और अधूरी है, जिससे इसकी ईमानदारी और वैधता पर संदेह की छाया पड़ रही है। तदनुसार, पूर्वोक्त पर भरोसा

करते हुए, यह भी उम्मीद की जाती है कि आगे की जांच किए जाने तक, गवाहों से छेड़छाड़ और अनुचित/अवैध प्रथाओं को रोकने के लिए, सीबीआई/राज्य शिकायतकर्ता/मृतक के परिवार के हितों की विधिवत रक्षा करेगा।

27. अतः, उपरोक्त टिप्पणियों पर समग्र रूप से भरोसा करते हुए, यह न्यायालय इस स्तर पर वर्तमान अपील को खारिज करना उचित समझता है, और साथ ही सीबीआई को आरोपित अपराध की जाँच करने का निर्देश देता है, क्योंकि इस न्यायालय के समक्ष अब तक की जाँच अधूरी है और ऊपर उल्लिखित कारणों से उस पर एकांत में कार्रवाई करना संभव नहीं है। तदनुसार, भारतीय संविधान की धारा 226 के साथ पठित धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह मामला तत्काल प्रभाव से सीबीआई, क्षेत्रीय इकाई, जयपुर को स्थानांतरित किया जाता है।

28. हालाँकि, इस तथ्य को देखते हुए कि अभियुक्त-अपीलकर्ता काफी समय से न्यायिक हिरासत में हैं और मुकदमा अभी भी चल रहा है, यह न्यायालय सीबीआई से अपेक्षा करता है कि वह मामले की जाँच 60 दिनों की अधिकतम अवधि के भीतर पूरी कर ले। उक्त जाँच रिपोर्ट, 1989 के अधिनियम की धारा 14 के अनुसार विशेष अधिकारिता रखने वाले संबंधित विशेष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए, जहाँ मुकदमा अभी चल रहा है। इस बीच, जाँच पूरी होने तक कोई अंतिम निर्णय न दिया जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय की कोई भी टिप्पणी किसी भी पक्ष के अधिकारों और योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

29. सीआईडी (सीबी) की ओर से न्यायालय में उपस्थित अधिकारी को केस डायरियाँ लौटा दी जाती हैं। सीबीआई की ओर से मांगे जाने वाले किसी भी स्पष्टीकरण को, इस आशय के उपयुक्त आवेदन के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

30. अतः, उपर्युक्त के अनुसार, वर्तमान अपील खारिज की जाती है। यदि कोई लंबित आवेदन हैं, तो उनका निपटारा किया जाता है।

(समीर जैन), जे

पूजा /1

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी।

सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी